न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

प्रा0 पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/13/13/18	28.04.2018	05.08.2019

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़

.....प्रार्थी/वादी

बनाम

1. सौभागसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़
2. गोपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़
3. धारासिह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़
4. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़
5. बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़
6. हरिबाई गुर्जर पुत्री स्व0 श्री देवी सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़
7. उर्मिला बाई गुर्जर पुत्री स्व0 श्री देवी सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़ (वारिस काबिज जायदाद देवी सिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री गणपत सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़।
8. मु0 निम्मो पुत्री स्व0 श्री विजय सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़
9. राजू गुर्जर पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह गुर्जर जाति गुर्जर नि0 चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़ (वारिस काबिज जायदाद विजय सिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री गणपत सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह0 रामगढ़।

.....असल प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण

10. हुकमसिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री रतन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह0 रामगढ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
11. नरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री रतन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह0 रामगढ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
12. कमलसिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री रतन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तह0 रामगढ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
13. श्रीमती पिंकी बेवा स्व0 श्री मोहन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
14. बेबी शैली पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
15. बेबी डोली पुत्री स्व0 श्री मोहन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
16. मास्टर रोहित पुत्र स्व0 मोहन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर। नाबालिगान बसरपरस्ती श्रीमती पिंकी बेवाह स्व0 श्री मोहन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम चौरोटी पहाड हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

17. श्रीमती ललता देवी गुर्जर बेवा स्व0 रतन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम चौरोटी पहाड हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर। वारिस काबिज जायदाद रतन सिह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री गंगाबक्श गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर।
18. श्रीमती रेखा बेवा स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ हाल निवासी मौहल्ला गालिब सैयद, अलवर।
19. श्रीमती शीला धर्मपत्नी श्री हंसराज गुर्जर पुत्री स्व0 किशन सिंह गुर्जर निवासी ढाणी ढढीकर तहसील अलवर।
20. श्रीमती सविता पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर धर्मपत्नी श्री सीताराम गुर्जर निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील अलवर।
21. श्रीमती कविता पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर धर्मपत्नी श्री हरदयाल गुर्जर निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील अलवर।
22. श्रीमती गायत्री पुत्री स्व0 किशन सिंह गुर्जर धर्मपत्नी श्री कमलसिह गुर्जर निवासी ढाणी ढढीकर तहसील अलवर।
23. ईश्वरी पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम ढाणी ढढीकर तहसील अलवर हाल निवासी गालिब सैयद, अलवर। (वारिस काबिज जायदाद किशन सिह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री गंगाबक्श गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

(राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1955)

उपस्थित अभिभाषकगण –
1. श्री धर्मपाल चौधरी एडवोकेट – प्रार्थी/वादी
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

निर्णय

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी के पिता श्री लक्ष्मीनारायण तथा तरतीबी प्रतिवादी सं0 10 ला0 23 के बुजुर्गान श्री गंगाबक्श की खुदकाश्त की साबिक आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1 बीघा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 912 रकबा 0.41, 912/1335 रकबा 0.01, 959 रकबा 0.78, 1066 रकबा 0.25, 1273 रकबा 1.24 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 2.69 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजीयात के वे खुदकाश्तकार थे और बन्दोबस्त सम्वत 2014 में यह आराजीयात खुद काश्त कागजातमाल में उनके नाम दर्ज थी।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपरोक्त आराजीयात में मिन वादी का 1/2 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी सं0 10 ला0 23 के बुजुर्गान श्री रतन सिंह व श्री किशन सिंह का 1/2 हिस्सा है। तत्कालीन तहसीलदार (भूमिधारी) रामगढ जिला अलवर द्वारा पत्रावली सं0 3/1983 न्यायालय उप जिलाधीश महोदय अलवर कैम्प रामगढ जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 11.08.1983 को माननीय उप जिलाधीश, अलवर जिला अलवर कैम्प रामगढ जिला अलवर के पीठासीन अधिकारी श्री ए0 मुखोपाध्याय द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि :– 211 रकबा 1 बीघा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चौरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर के सम्बन्ध में जमाबन्दी सम्वत 2034 के कालम सं0 4 में हो रहे इन्द्राज बकाश्त देवीसिंह, विजयसिंह पिसरान गणपत सिंह समान भाग सा0 देह शिकमी को अभिलेख से हटाया जाकर संशोधित इन्द्राज निम्न भांति अंकित किया जावें :– **अमर सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण गुर्जर 1/2 हिस्सा, रतन सिंह, किशन सिंह पिता गंगाबक्श समान भाग 1/2 हिस्सा कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार।** न्यायालय उप जिलाधीश अलवर जिला अलवर कैम्प रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों की पालना करते हुए राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की जिम्मेवारी तहसीलदार रामगढ की थी। लेकिन उनके द्वारा अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हुए उक्त आदेश की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही किया। राज्य सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन सं0 एफ–4–11–राज–4–74 दिनांक 23.04.1977 द्वारा निर्देश दिये गये है कि शिकमी काश्तकारों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से शिकमी काश्तकारों द्वारा आवेदन किये जाने पर तहसीलदार, सम्बन्धित खातेदार / गैरखातेदार को नोटिस व सुनवाई का अवसर देकर, उचित जांच के पश्चात, रजिस्टर में प्रविष्ठि करेगा। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कि ऐसा रजिस्टर रखने से, काश्तकारों का कोई हित नही होकर आपसी विवादों में वृद्धि हुई है। अतः इस सम्बन्ध में विचार कर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिकमी काश्तकारों के सम्बन्ध में अलग से रजिस्टर रखने व उसमें शिकमी काश्त आदि का इन्द्राज करने की आवश्यकता नही होने से इस हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावें। न्यायालय उप जिलाधीश महोदय अलवर कैम्प रामगढ जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.1983 व राज्य सरकार परिपत्र की अनुपालना में उक्त आराजीयात

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

की बाबत प्रतिवादी सं0 1 ला0 9 के बुर्जुग श्री देवीसिंह व विजय सिंह के हुए बकाश्त के अंकन को कलमजन कर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 1 बीघा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 912 रकबा 0.41, 912/1335 रकबा 0.01, 959 रकबा 0.78, 1066 रकबा 0.25, 1273 रकबा 1.24 हैक्ट0 कुल किता 5 रकबा 2.69 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर की बाबत प्रतिवादीगण असल सं0 1 ला0 9 के बुजुर्गान श्री देवी सिंह व विजय सिंह के नाम के हुए बकाश्त के अंकन को राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने की कृपा करें।

प्रार्थी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 8, 9 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल के मुताबिक मिन अप्रार्थी के पिता स्व0 श्री विजय सिंह का हिस्सा बनता है जिसका ही विरासत का तर्का मिन अप्रार्थी को प्राप्त हुआ है। और मिन अप्रार्थी को अपने पिता के हिस्सा की आराजीयात की बाबत अपने पिता के जीवन काल से ही समस्त अधिकारात मालिकाना काबिजाना खातेदारी आदि के आयद चले आ रहे है। उक्त हालात में प्रार्थी मिन अप्रार्थीयान का नाम कलमजन कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थी को बेजा क्षति कारित करने की नियत व गर्ज से आराजी पर कब्जा रिसीवर कराया हुआ है। प्रार्थी द्वारा मिन अप्रार्थी के हिस्सा की भूमि को हडप करने की नियत व गर्ज से मौजूदा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर बनाकर पेश किया गया है। जो काबिल पेश रफ्त नही है। उक्त आराजी की बाबत यदि मिन अप्रार्थीयान का नाम कलमजन किया जाता है तो उस सूरत में मिन अप्रार्थी को ऐसा भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान होता है कि जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से पूरी किया जाना संभव नही हो पावेगा। ऐसी सूरत में भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों पर पेश किया गया आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं0 1 ला0 7 की ओर से जवाब इस प्रकार है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक नियमित वादपत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

आगामी तारीख पेशी 20.09.2013 नियत की हुई है। जब नियमित वाद पत्र न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में समरी प्रोसिडिंग कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। जो भी विचाराधीन वादपत्र में आदेश परित किया जायेगा उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण प्रभावित रहेगे। धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत वादपत्र न्यायालय में मेन्टेनेबिल नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजीयात के प्रार्थी खुदकाश्तकार थे और बन्दोबस्त सम्वत 2014 में यह आराजीयात खुद काश्त कागजातमाल में उनके नाम दर्ज थी। उपरोक्त आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी सं0 10 ला0 23 के बुजुर्गान श्री रतन सिंह व श्री किशन सिंह का 1/2 हिस्सा है। तत्कालीन तहसीलदार (भूमिधारी) रामगढ जिला अलवर द्वारा पत्रावली सं0 3/1983 न्यायालय उप जिलाधीश महोदय अलवर कैम्प रामगढ जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 11.08.1983 को माननीय उप जिलाधीश, अलवर जिला अलवर कैम्प रामगढ जिला अलवर के पीठासीन अधिकारी श्री ए0 मुखोपाध्याय द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया कि :– 211 रकबा 1 बीघा, 651 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चौरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर के सम्बन्ध में जमाबन्दी सम्वत 2034 के कालम सं0 4 में हो रहे इन्द्राज बकाश्त देवीसिंह, विजयसिंह पिसरान गणपत सिंह समान भाग सा0 देह शिकमी को अभिलेख से हटाया जाकर संशोधित इन्द्राज निम्न भांति अंकित किया जावें :– **अमर सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण गुर्जर 1/2 हिस्सा, रतन सिंह, किशन सिंह पिता गंगाबक्श समान भाग 1/2 हिस्सा कौम गुर्जर सा0 देह खातेदार।** उक्त आदेश की पालना राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की जिम्मेवारी तहसीलदार रामगढ की थी। लेकिन राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही किया। राज्य सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन सं0 एफ–4–11–राज–4–74 दिनांक 23.04.1977 द्वारा निर्देश दिये गये है कि शिकमी काश्तकारों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से शिकमी काश्तकारों द्वारा आवेदन किये जाने पर तहसीलदार, सम्बन्धित खातेदार / गैरखातेदार को नोटिस व सुनवाई का अवसर देकर, उचित जांच के पश्चात, रजिस्टर में प्रविष्ठि करेगा। राज्य सरकार के ध्यान में लाया

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

गया है कि कि ऐसा रजिस्टर रखने से, काश्तकारों का कोई हित नही होकर आपसी विवादों में वृद्धि हुई है। अतः इस सम्बन्ध में विचार कर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिकमी काश्तकारों के सम्बन्ध में अलग से रजिस्टर रखने व उसमें शिकमी काश्त आदि का इन्द्राज करने की आवश्यकता नही होने से इस हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावें। आदेश दिनांक 11.08.1983 व राज्य सरकार परिपत्र की अनुपालना में उक्त आराजीयात की बाबत प्रतिवादी सं0 1 ला0 9 के बुर्जुग श्री देवीसिंह व विजय सिंह के हुए बकाश्त के अंकन को कलमजन कर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाने की ईस्तदुआ की गई। अप्रार्थी के विद्वान वकील ने बहस के दौरान जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक नियमित वादपत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच न्यायालय में विचाराधीन है। जब नियमित वाद पत्र न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में समरी प्रोसिडिंग कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए। जो भी विचाराधीन वादपत्र में आदेश परित किया जायेगा उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण प्रभावित रहेगे। धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत वादपत्र न्यायालय में मेन्टेनेबिल नही होने के कारण खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया। जिससे प्रतीत होता है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक नियमित वादपत्र 1/15/2001 वादी गण एवं प्रतिवादीगण के बीच इस न्यायालय में विचाराधीन है। अब उक्त वाद को मैरिट पर निर्णित किया जा चुका है। इसलिए इस वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से सम्बन्धित वाद सं0 1/15/2001 निर्णित किये जाने के इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। वैसे भी यह रिलीफ धारा 136 में कवर नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.08.19

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)